राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली 17 जून, 2019

अधिसूचना सं. एनएचबी.एचएफसी.निर्देश.22/एमडीएंडसीईओ/2019 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझते हुए कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (इसके बाद प्रधान निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथाः

1. अनुच्छेद 3 का संशोधन

(क) मुख्य दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (1) के खंड (i) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,- यथा

(i) एक आवास वित्त कंपनी जिसने अपनी सावधि जमाओं के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग से नीचे ऋण रेटिंग प्राप्त न की हो जैसाकि ऊपर दिया गया है तथा सभी विवेक सम्मत मानदंडों का अनुपालन करती हो, अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन गुणा तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती है।

(ख) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप- अनुच्छेद (2) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, -यथा

(2) कोई भी आवास वित्त कंपनी में सार्वजनिक जमा राशियों को शामिल करके ऐसी जमा राशियों, जिनकी मूल राशि उसके द्वारा धारित राशियों, यदि कोई हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45आई की उप धारा (बीबी) के खंड (iii) से (vii) और इसी प्रकार ऋणों या राष्ट्रीय आवास बैंक से अन्य सहायता में निर्दिष्ट हैं, निम्न सीमा से अधिक नहीं रखेगी

(i) 31 मार्च, 2020 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के चौदह गुणा तक;
(ii) 31 मार्च, 2021 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के तेरह गुणा तक; एवं
(iii) 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद इसके निवल स्वाधिकृत निधि के बारह गुणा तक

(ग) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप- अनुच्छेद (2) के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा

टिप्पणीः उपरोक्त सीमाओं के निर्धारण के उद्देश्य से निवल स्वाधिकृत निधि का अर्थ "निवल स्वाधिकृत निधि" होगा, जो इन दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 2 के उप- अनुच्छेद 1 (यू) के तहत परिभाषित है और पिछले वर्ष के यथा 31 मार्च को लेखा परीक्षित खातों के अनुसार इसकी स्थिति के संबंध में है। उक्त तिथि को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के तैयार होने के बाद भी यदि पूंजी का आसव किया जाता है तो उसे भी सीमाओं के निर्धारण हेतु गणना में लिया जायेगा।

(घ) मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 के उप- अनुच्छेद (3) में, निम्नलिखित शब्द हटा दिए जाएंगे, अर्थात्-

"इन निदेशों की प्रारंभिक तिथि पर"

2. अनुच्छेद 30 का संशोधन

मूल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 30 के उप-अनुच्छेद (1) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा

(1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, टीयर-I और टियर-II पूंजी से मिलकर न्यूनतम पूंजी अनुपात रखेगी, जो निम्नलिखित से कम नहीं होगा-

(i) 31 मार्च, 2020 तक या उससे पहले 13%;

(ii) 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले 14%; तथा

(iii) 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले और उसके बाद की अनुमानित जोखिम भारित परिसंपत्तियां और तुलन-पत्रेत्तर मद के जोखिम समायोजित मूल्य का 15%

टीयर - I पूंजी, किसी भी समय, 10% से कम नहीं होनी चाहिये।

दक्षिता दास
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी